



बिहार सरकार

समाहरणालय, अररिया  
(जिला प्रोग्राम कार्यालय)  
(आई0सी0डी0एस0)

दूरभाष सं० : 06453-222001(का०)  
: 06453-222102 (आ०)  
फैक्स सं० : 06453-222124  
Email ID : dm-araria.bih@nic.in

**वन स्टॉप सेंटर, अररिया के कर्मियों के चयन हेतु विज्ञापन संख्या 01/2021**

महिला विकास निगम, बिहार, पटना के ज्ञापांक 278, दिनांक 02.07.2020 एवं पत्रांक 409 दिनांक 12.08.2020 के आलोक में अररिया जिला में केन्द्र संपोषित वन स्टॉप सेंटर, योजना अन्तर्गत महिला विकास निगम बिहार, पटना (समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार) के सहयोग से तथा जिला प्रशासन, अररिया के नियंत्रणाधीन वन स्टॉप सेंटर के 24x7 संचालन हेतु संविदा के आधार पर निम्नलिखित पदों पर नियोजन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र, बायोडाटा, फोटो एवं वांछित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति (स्व- अभिप्रमाणित) के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। सभी आवेदन पत्र जिला प्रोग्राम कार्यालय, आई0सी0डी0एस0, अररिया के पते पर निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। साक्षात्कार के समय सभी संबंधित मूल शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण-पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।

- लिफाफा के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं वन स्टॉप सेंटर लिखा जाना अनिवार्य होगा।
- बायोडाटा में ई-मेल आई0डी0 एवं मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य होगा।
- बायोडाटा में आवेदित पद का नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
- अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा।
- अधिकतम आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 294 दिनांक 07.01.2016 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा  
(क) अनारक्षित वर्ग पुरुष -37 वर्ष।  
(ख) पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) -40 वर्ष।  
(ग) अनारक्षित वर्ग महिला -40 वर्ष।  
(घ) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) -42 वर्ष।
- आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि.....को अपराह्न 05.00 बजे तक होगी।
- आवेदन पत्र के साथ स्व पता लिखा लिफाफा (निबंधित डाक टिकट) चिपकाया हुआ संलग्न करना अनिवार्य होगा।


क्र०	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव	मानदेय
1	2	3	4	6
1	केन्द्र प्रशासक -सह- परियोजना प्रबंधक Centre Administrator Cum project Manager	01 पद	Any woman having a Law degree/Masters in Social Work with at least 5 Years experience of working on Violence against women issues in an administrative set-up with a Government or Non- Government project/ programme and preferably with at least 1 years' experience of counselling either within or outside the same set-up.She should be a resident of the local community so that local human resource and expertise is utilised for effective functioning of the centre.	22,000/- प्रतिमाह



2	केस वर्कर -सह- परामर्शी Case Worker Cum counsellor	02 पद (सामान्य 01, अत्यंत पि०वर्ग० 01)	Any woman having a Law degree/ Masters in Social Work with at least 3 Years' experience of working on violence against women issues in a Government or Non-Government project/programme. She should be a resident of the local community so that local human resource and expertise is utilised for effective functioning of the centre.	16,000/- प्रतिमाह
3	आई०टी० सहायक IT Assistant	01 पद	Any person who is a graduate with a diploma in computers/IT etc with a minimum of 3 years of experience in data management, process documentation and web based reporting formats, video conferencing in either at the level of state/district/Non- Governmental/IT based organization.	13,000/- प्रतिमाह
4	मल्टी पर्पस हेल्पर Multi purpose Helper	02 पद (सामान्य 01, अत्यंत पि०वर्ग० 01)	Any person who is literate with at least 3 years of experience of working as a helper, Peon etc.	11,000/- प्रतिमाह
5	सुरक्षा प्रहरी Security Guard	02 पद (सामान्य 01, अत्यंत पि०वर्ग० 01)	Any person having at least 2 Years of experience of working as security personnel in a government or reputed organization in the district/state level. He/she should preferably be retired military personnel and should be hired after police verification and registration.	10,000/- प्रतिमाह

नियोजन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा :-

1. संविदा शर्त सेवा अवधि एवं अन्य शर्तें समय समय पर निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश के अनुरूप होगा।
2. संविदा के आधार पर ये नियुक्ति पूर्णत अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है एवं इस संबंध में नियमित नियुक्ति को कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितिकरण का दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे न सरकारी सेवक के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन वन स्टॉप सेंटर योजना के अधीन होगा।
3. जिला पदाधिकारी, अररिया को विज्ञापन निरस्त करने का अधिकार होगा।

  
जिला पदाधिकारी,  
अररिया